//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 62/2022

उनवान

रोडूमल पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवास ग्राम देराठू, नसीराबाद
––वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री खुखदेव चौधरी

बनाम

1. कंचन पत्नी हरी,
2. निर्मला पत्नी धमेन्द्र,
3. पिंकी पुत्री धमेन्द्र,
4. राजू पुत्र. हरि,
5. ललिता पुत्री हरि,
6. सचिन पुत्र धमेन्द्र जाति जाट नि0 देराठू, नसीराबाद,
7. मैनेजर स्टेट बैंक आफॅ बडौदा शाखा नसीराबाद,
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादी :– 1 से 7 अनुपस्थित
8 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 22.8.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के चौसाला खसरा नम्बर 2224 रकबा 12–03–10के वंर्किग खसरा नम्बर 2283 रकबा 10–16–10 व 2211 रकबा 01–07–00 के हाल खसरा नम्बर 3116, 3080, 3116/7242 व 3078 की आराजी वादी की खातेदारी की है। उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी संवत 2025 से 2028 में खातेदारी में थी। उक्त आराजी में से हाल खसरा नम्बर 3116/7242 रकबा 0.13 को जो वादी की माता के नाम दर्ज था को बिना किसी विधिक अधिकार के बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। ... जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।
प्रकरण का खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:24:09 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकोर की बहस पर मनन किया। चौसाला खसरा नम्बर 2224 रकबा 12–3–10 की आराजी सवंत 2025 से 2028 की जमाबंदी में वादी की माता जडाव पत्नी मांगीलाल के नाम दर्ज थी। चौसाला खसरा नम्बर 2224 के वंर्किग खसरा नम्बर 2283 रकबा 10–16–10 व 2211 आंशिक रकबा 1–7–0 बने है। वंर्किग खसरा नम्बर 2211 के हाल खसरा नम्बर 3119 रकबा 0.26, 3120/6241 रकबा 0.24 व 3116/7242 रकबा 0.13 बने है। उक्त तीनो हाल खसरा नम्बर हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग खसरा नमबर 2211 मिन रकबा 2–8–0 वंर्किग जमाबंदी में रामकरण पुत्र हरलाल के नाम व वंर्किग खसरा नम्बर 2211 मिन रकबा 1–10–0 नामान्तकरण संख्या 358 से चतुर्भुज पुत्र रामकरण के नाम अंकित होने का नोट दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वंर्किग खसरा नमबर 2211 का कुल रकबा 3–18–0 था जिसके तीन हाल खसरा नम्बर बने है। वादी का कब्जा कौन से खसरा नम्बर पर है इसके समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज वादी द्वारा पेश नही किये गये है। वंर्किग खसरा नम्बर 2211 रकबा 1–10–0 पूर्व में सिवायचक खाते में था जो बाद में आंवटित किया गया। वादी द्वारा उक्त आवंटन आदेश पेश नही किया है ना ही उक्त आवंटन के विरूद्व कोई चाराजोही की है। सवंत 2025 से 2028 के पूर्व की चौसाला जमाबंदी भी वादी द्वारा पेश नही की गयी है। वंर्किग खसरा नम्बर 2211 के पूर्ण रकबे 3–18–0 की स्थिति चौसाला जमाबंदी अनुसार स्पष्ट नही की है। चौसाला खसरा नम्बर 2224 के वंर्किग खसरा नमबर 2211 का रकबा 01–07–00 है जबकि वादी ने मात्र 0.13 रकबे पर ही खातेदारी चाही है, शेष रकबे की स्थिति भी वाद में स्पष्ट नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखिय दस्तावेज से वादी के कथनों की ताईद नही होती है साथ ही वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। अतः वादी आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 3116/7242 रकबा 0.13 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:24:09 IST
Reason: SelfAttested